मौजदीन बनाम स्व. शिवशंकर

16-12-19

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थिति। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा समन पेश नहीं किये जाने के कारण आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को उसके जायज अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा अपीलांट/वादी को नहीं मिल सकता। अपीलांट/वादी के लिये यह संभव नहीं था कि वे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवे। चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य उनके हक व हकूको का निर्धारण गुणावगुण पर होना है। ऐसी स्थिति में मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलांट/वादी को उसके जायज अधिकारों से वंचित करने की कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट/वादी द्वारा कभी भी समन प्रस्तुत करने हेतु इंकार नहीं किया है व आज भी वे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु तत्पर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्धारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूकि अपीलांट/वादी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष नहीं हो सकती। उक्त आदेश की माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिविजन लाई करती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करते हुए अनुतोष की मांग करनी चाहिए। अतः अपीलांट की अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2012 पेज 107 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25–07–1997 से दिनांक 21–03–200 तक अपीलांट/वादी को समन पेश करने हेतु 21 बार अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट/वादी द्वारा इतने अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी समन तलबाना पेश नहीं किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा आदेशिका दिनांक 02–03–2000 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि वादी द्वारा पूर्व आदेश की पालना में आगामी पेशी पर समन तलबाना पेश नहीं करने की स्थिति में वाद खारिज कर दिया जायेगा। उक्त स्थिति के बावजूद भी अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष समन तलबाना पेश नहीं करने की स्थिति में अपीलांट/वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा उक्त खारिजी आदेश दिनांक 21–03–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 10–09–2015 को अर्थात अपीलाधीन आदेश के करीब 15 वर्ष उपरान्त पेश की है। जिससे प्रतीत होता है अपीलांट/वादी अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2012 पेज 107 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Code of Civil Procedure, 1908 - Order 9 Rule 5 - No appeal lies against the order of dismissal of suit under the provisions of Order 9 Rule 5 - Revision is maintainable against the order of dismisssal of Suit., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–03–2000 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामरतन सांकरिया)
राजस्व अपीलाधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 11:51:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: